भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 463
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

चेहरे की पहचान तकनीक

463. श्री राजा राम सिंह:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजियात्रा द्वारा चेहरे की पहचान जैसे बायोमेटर्कि पहचान के माध्यम से हवाई अड्डों पर एकत्र किए गए आंकड़ों की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए कोई समिति गठति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंकड़ों के वाणिजयि क उपयोग के लिए किसी निजी या वाणिज्यकि पक्ष के साथ समझौता किया है, यदि हां, तो ऐसी कंपनि यों के नाम बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) डेटा संरक्षण कानून के क्षेत्र के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई), निजता के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाया गया है। यात्री की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं होता। संपूर्ण यात्री डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में संग्रहित रहता है तथा इसे केवल मूल हवाईअड्डे के साथ, जहाँ यात्री आईडी को मान्य करने की आवश्यकता होती है, सीमित समयावधि के लिए साझा किया जाता है। हवाईअड्डों पर कोई डेटा एकत्रित नहीं किया जाता है। डिजी यात्रा के तहत हवाईअड्डों पर प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए गए, यात्री के सत्यापन योग्य डेटा को उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे बाद सिस्टम से हटा दिया जाता है। संपूर्ण डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई) और डिजी यात्रा ऐप, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुपालन में हैं।

चेहरे से पहचान करने वाली तकनीक के उपयोग से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। सरकार का डेटा के वाणिज्यिक उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है।

*****